संख्या-253/2025/14के-2/22-3-2024-17(904)/23

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक : 08 जुलाई, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ऋषिराज पुत्र श्री ज्योति, निवासी जनपद-बागपत की स्थाई नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-28204/प्रो(6)/229(गांधी जयन्ती 2023), दिनांक 13.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा गांधी जयन्ती (02 अक्टूबर, 2023) के अवसर पर स्थाई नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ऋषिराज (बंदी संख्या-10046) पुत्र श्री ज्योति, निवासी ग्राम-ओढापुर, थाना-छपरौली, जनपद-बागपत का समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10-09-2003 को वादी की पुत्री सलोनी आयु लगभग 05 वर्ष के साथ बलात्कार किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-445/2003 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(च) के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-1, बागपत के आदेश दिनांक 06-08-2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03-11-2018 द्वारा बंदी की आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 02-10-2023 तक बंदी की आयु 51 वर्ष है। बंदी द्वारा बलात्कार करने जैसा घृणित, जघन्य व संपूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतएव बंदी की उम्र 51 वर्ष होने के दृष्टिगत एवं बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत दयायाचिका समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/18/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01-08-2018, यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28-07-2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018, दिनांक 27-05-2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ऋषिराज पुत्र श्री ज्योति की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ऋषिराज (बंदी संख्या-10046) पुत्र श्री ज्योति, निवासी जनपद-बागपत की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत संदर्भगत शासनादेश दिनांक 01-08-2018, 28-07-2021 तथा 27-05-2022 के प्रस्तर-12 के अधीन दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।